राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(86)ग्रावि/नरेगा/आईएचएचएल/2014/Eo-60018 जयपुर, दिनांकः 27 FEB 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत IHHL के शौचालय निर्माण कराने में मार्गदर्शन बाबत।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 03.05.2016।

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के बिन्दु सं. 2.5.2.1.3 में वर्णित है कि "Construction of Individual Household Latrines (IHHLs) under Mahatma Gandhi NREGA: In order to give impetus to the Swachh Bharat Mission (Gramin) to achieve a clean India by 2019, the scheme of IHHL construction under Mahatma Gandhi NREGA shall focus on construction of IHHLs in IAY Houses, houses being constructed under other Schemes, (such as housing schemes for Bidi Workers, for construction workers under the Construction Workers Welfare Fund) and schemes of the State Government. The unit cost of IHHL under Mahatma Gandhi NREGA will be Rs. 12000/- and design of IHHL will be as in SBM (G). It should be ensured, however, that in cases, where Mahatma Gandhi NREGA funds are being used for the construction of IHHLs funding under SBM (G) is not used, to avoid duplication. It is to mentioned here that IHHLs under Mahatma Gandhi NREGA can be constructed also for all other eligible rural houses (not having toilets), but not covered under SBM (G) or any other Scheme."

योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

1. मास्टर परिपत्र 2016–17 के प्रावधानानुसार योजनान्तर्गत IHHL का निर्माण सभी पात्र ग्रामीण आवासों (जिनमें शौचालय नहीं है) के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कराया जा सकता है, अर्थात् बेस लाइन सर्वे से वंचित परिवार अथवा ऐसे परिवार, जिनको कतिपय कारणों से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है, के आवास में भी नवीन व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजनान्तर्गत कराया जा सकता है।
2. ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ब्लॉक समन्वयक की सहायता से घर–घर सर्वे किया जाकर ऐसे परिवार जिनके शौचालय उपलब्ध नहीं है, को सूचीबद्ध किया जायेगा।
3. शौचालय निर्माण के लिए अधिकतम राशि रु0 12000 का ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा, इससे अधिक लागत लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री मद में व्यय जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत की गई कुल व्यय राशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
4. निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी, जॉबकार्डधारी परिवार द्वारा स्वयं का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत निर्धारित ड्रॉइंग–डिजाइन (संलग्न) के अनुरूप ही किया जायेगा। उक्त निर्धारित डिजाइन के अनुरूप सोख्ता गड्ढे (लीच पिट) का निर्माण कराया जाना

Scanned by CamScanner

आवश्यक है। यदि सोख्ता गड्ढे (लीच पिट) का इसके विपरीत निर्माण होना पाया जाता है, तो महात्मा गांधी नरेगा मद से भुगतान नहीं किया जावेगा।

5. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अन्य कार्यों की भांति शौचालयों की स्वीकृति नियमानुसार चयनित लाभार्थियों की सूची कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा पात्रता की जाँच करने के उपरान्त प्रमाणित की जाकर जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर द्वारा जारी की जावेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी लाभार्थी को दोनों योजनाओं में शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हो। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पुराने निर्मित शौचालयों के जीर्णोद्धार/मरम्मत के कार्य स्वीकृत नहीं किये जावे।
7. महात्मा गांधी नरेगा क्षेत्रों में शौचालय उपयोग व ओ.डी.एफ. करने हेतु समस्त आई.ई.सी. आदि सॉफ्ट गतिविधियों एवं सम्बन्धित व्यय एस.बी.एम. (ग्रामीण) द्वारा की जायेगी।
8. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित सभी व्यक्तिगत शौचालयों का इन्द्राज महात्मा गांधी नरेगा सॉफ्ट एवं एस.बी.एम. (जी) के एम.आई.एस.,दोनों पर किया जायेगा।
9. महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा–निर्देशों एवं प्रावधानों की सम्पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
10. कार्य का ई–मस्टररोल लाभार्थी को ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा दिया जायेगा। निर्माण कार्य का माप पुस्तिका में इन्द्राज सम्बन्धित कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा किया जायेगा।
11. कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी द्वारा कार्य का भुगतान पारित करते समय लाभार्थी के साथ कार्य का फोटो एवं तकनीकी अधिकारी की गुणवत्ता रिपोर्ट देखी जावेगी।
12. कार्य का भुगतान एफ.टी.ओ. के माध्यम से सम्बन्धित अकुशल श्रमिकों को उनके बैंक खाते में एवं सामग्री का भुगतान मास्टर परिपत्र 2016–17 के पैरा संख्या 2.5.1.6 के अनुसार सामग्री प्रदाता को उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
13. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तगर्तत अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों का भुगतान सामग्री मद से किया जावेगा।
14. कार्य का उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए वर्ष 2010 में जारी तकनीकी मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जाकर मय फोटो ग्राफ/जियो टेगिंग कर एमआईएस पर अपलोड किया जावेगा।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर शौचमुक्त प्रदेश बनाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जावे।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुदर्शन सेठी) 20.2.20
अति. मुख्य सचिव,
ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहा0, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 सरकार।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राजस्थान।
7. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, बाड़मेर।
9. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस सह विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

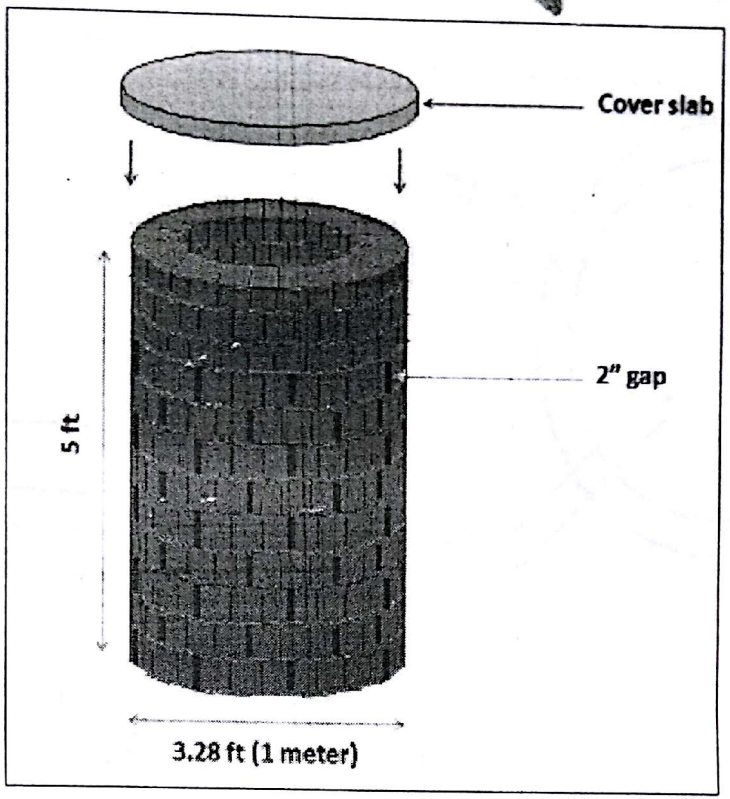

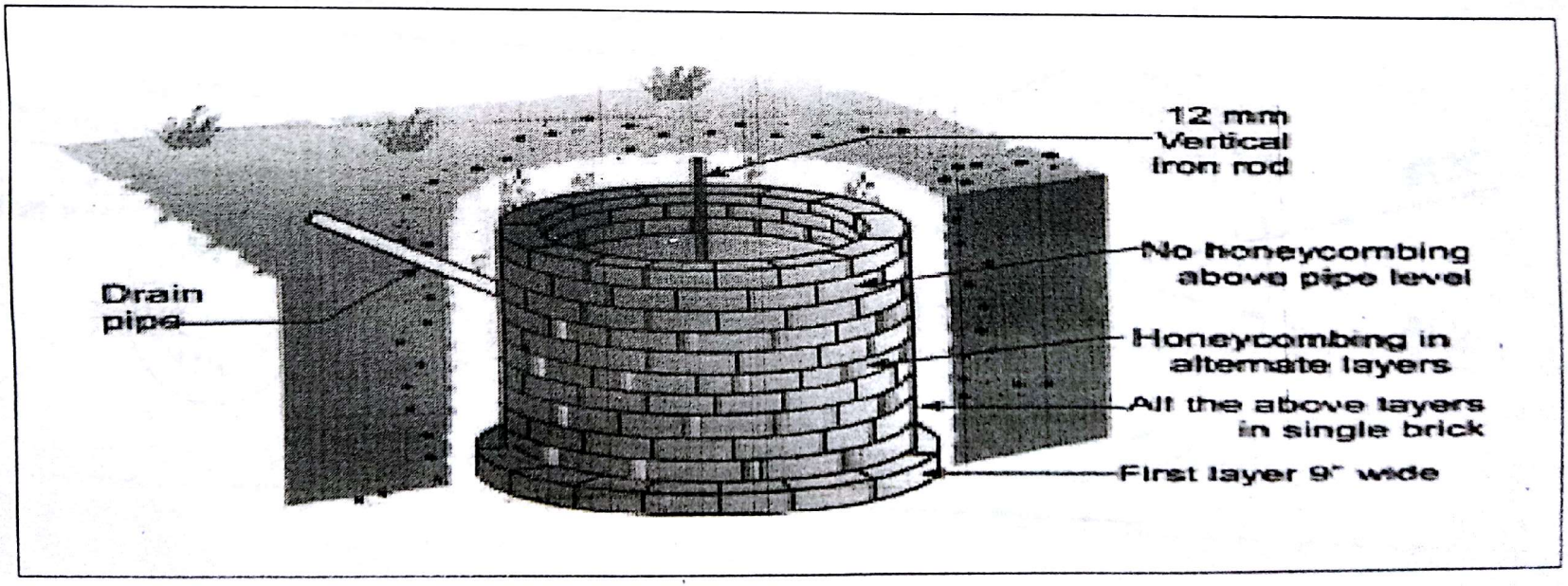

Scanned by CamScanner

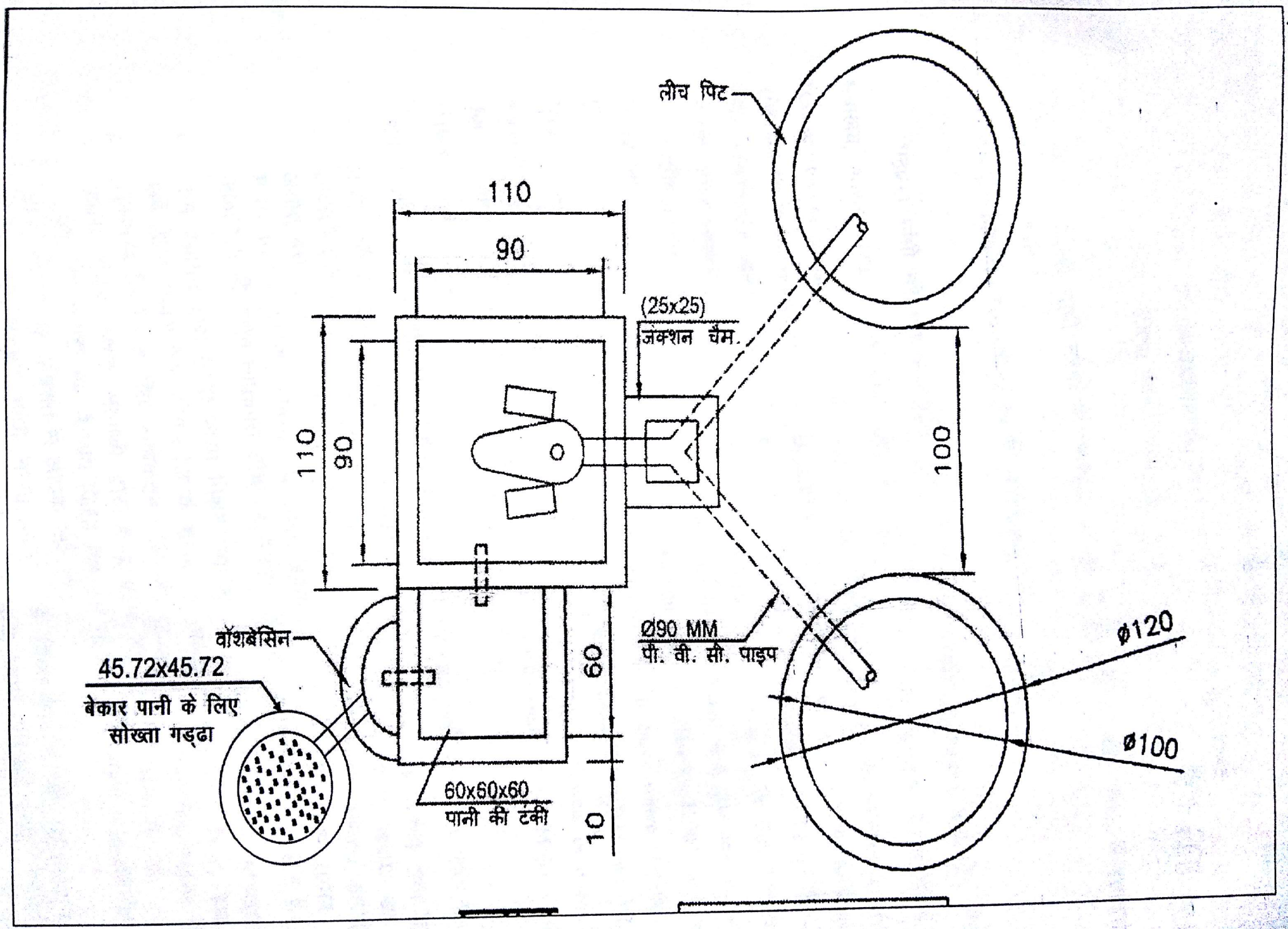

Scanned by CamScanner